कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

वन भवन – 1, हजारीबाग 825301 (झारखण्ड)

Ph. & Fax (O) - 06546 -222393, Cell No. : 8987790202 E-mail: cf.hazaribagh@gmail.com

पत्रांक 13-E-5-09/2022:– 1844 दिनांक :– 02-11-2022

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल।

विषय :– **डी0भी0सी0 हजारीबाग (सिंदूर) सब–स्टेशन से पूर्व–मध्य रेलवे (ECR) धनबाद के टी0एस0एस0 तक 132 के0वी0 डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन हेतु 10.106 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– आपका पत्रांक 3803 दिनांक 22.10.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त डी0भी0सी0 हजारीबाग (सिंदूर) सब–स्टेशन से पूर्व–मध्य रेलवे (ECR) धनबाद के टी0एस0एस0 तक 132 के0वी0 डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन हेतु 10.106 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव का अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवलोकन किया गया, जिसमें कतिपय त्रुटियाँ/कमियां पाई गई गई है जो निम्नवत् है:–

1. विषयक परियोजना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव के साथ समर्पित किया गया Land Schudle (अनुलग्नक -D) के मौजा गदोखर के प्लॉट संख्या 1171 में कुल रकवा 0.853 हे0 को जंगल–झाड़ी भूमि अंकित किया गया है। जबकि उपायुक्त, हजारीबाग के ज्ञापांक 412 दिनांक 05.07.2021 द्वारा जंगल–झाड़ी भूमि के लिए निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र में उक्त रकवा के लिए प्लॉट संख्या–1174 अंकित किया गया है, जो विराधाभाषी है।
2. विषयक परियोजना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव के साथ समर्पित किया गया Land Schudle (अनुलग्नक -D) के मौजा मंडईखूर्द के प्लॉट संख्या 390, 3202, 582 एवं 806 का कुल रकवा 2.827 हे0 वनभूमि अंकित किया गया है। जबकि अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग के ज्ञापांक 424 दिनांक 26.02.2021 द्वारा वनाधिकार के तहत निर्गत बैठक की कार्यवाही में तीन प्लॉट यथा प्लॉट संख्या 390, 582 एवं 806 में कुल रकवा 2.825 हे0 अंकित किया गया है। इसमें प्लॉट संख्या–3202 का उल्लेख नहीं किया गया है।
3. विषयक परियोजना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव के साथ समर्पित किया गया Land Schudle में कतिपय प्लॉट का खतियान तथा भूमि संबंधी अन्य अभिलेख उपलब्धता नहीं होने तथा नष्ट होने का उल्लेख किया गया है। इस संदर्भ में संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा भी उल्लेख किया गया है। ऐसी परिस्थिति में सरकार द्वारा संबंधित उपायुक्त से निर्गत प्रमाण पत्र तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संलग्न किया जाना है, जबकि प्रस्ताव में अनुलग्नक–R रूप में "प्रपत्र–1 उपायुक्त का प्रमाण पत्र" समर्पित करने हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है, जो यथोचित नहीं है।
4. प्रस्ताव में संलग्न सभी अभिलेखों पर पृष्ठ संख्या दर्ज नहीं है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव मूल रूप में इस पत्र के साथ संलग्न भेजते हुए अनुरोध है कि उक्त बिन्दुओं का निराकरण करते हुए संशोधित प्रस्ताव यथाशीघ्र इस कार्यालय को समर्पित करना सुनिश्चित करें।

आपका विश्वासी

2/11/2022

वन संरक्षक

अनु0–यथोक्त।

प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

02.11.22